

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र सं०- 09/उपा०बीज०अनु०-32/2016 6049 /क० पटना, दिनांक 22-9-2017

प्रेषक :

हिमांशु कुमार राय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में :

मेसर्स एस०भी०आर० क्रॉप साइन्स (आई०) प्रा०लि०,
द्वारा-संतोष कुमार यादव, ग्राम+पो०-हरदा, पूर्णिया

विषय : बीज बिक्री अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

आपसे प्राप्त प्रपत्र-ए.कोषागार चालान, स्थल जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर बिहार राज्य में बीज बेचने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन क्रमांक-7 के लिए पंजीकरण किया जाता है:-

1. बीज अधिनियम 1966 के सभी धाराओं को आप पूरा-पूरा पालन करेंगे।
2. बीज बिक्री एवं भंडारण का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में कृषि निदेशालय को हर माह के 20 तारीख तक भेजें। निर्धारित समय पर प्रतिवेदन नहीं प्राप्त होने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
3. बीज नियंत्रण आदेश 1983 के अंतर्गत घोषित बीज समय-समय पर बीज नमूना जाँच के लिए लेंगे।
4. हर बिक्री के लिए अलग पंजीकरण कर दें। बिक्री केन्द्रों की संख्या में यदि वृद्धि करें तो उसकी सूचना क्षेत्रीय कृषि पदाधिकारी को देते हुए उसकी पंजीकरण के लिए 15 दिनों के अंदर आवेदन पत्र दें अन्यथा अवैध ढंग से व्यापार करने पर पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा।
5. बीज बिक्री हेतु बीज विक्रेता नियुक्त कर सकते हैं।
6. पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या.....35/2017.....संलग्न है।
7. राज्य के लिए केवल अनुशंसित/अधिसूचित बीज का ही व्यापार संलग्न सूची के अनुसार करेंगे।
8. पंजीकरण की वैधता तिथि.....21/09/2020.....तक मान्य है।
9. कृषि निदेशालय के ज्ञापांक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :-बीज की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

6049

/क०, पटना, दिनांक 22-9-2017

प्रतिलिपि:- 1. संयुक्त निदेशक (शष्य) उपादान/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/उप निदेशक (शष्य) बीज/ उप निदेशक (शष्य) मुख्यालय/उप निदेशक (शष्य) फसल/उप निदेशक (शष्य) तेलहन/उप निदेशक (शष्य) बीज विश्लेषण/उप निदेशक (शष्य) बीज निरीक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान (कृषि स्नातक)/ सभी बीज निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।




कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना

मेसर्स एस0भी0आर0 क्रॉप साइन्स इंडिया प्रा0 लि0 द्वारा राज्य में निम्नलिखित फसल प्रभेदों का व्यवसाय किया जायेगा।

LIST OF SEEDS

क्र० सं०	फसल का नाम	प्रभेद का नाम
1	HYBRID MAIZE	SVR- VISHWAS, SVR- VINAYAK, SV- MANIK (WHITE), SVR-VIPUL, SVR-VIRAT
2	HY. SUNFLOWER	SVR- AJAY, SVR- VIJAY
3	HY. BAJRA	SVR-7660
4	HY. JOWAR	SVR-9100
5	HY. PADDY	SVR-1001, SVR-5001
6	SSG-RED	SVR-SHAMAL
7	SSG-WHITE	SVR-KOMAL
8	HY. TOMATO	STH-ANMOL, STM- SAMEER, STM-AKSHAY, STM-PAVAN, STM-SHUBHAM
9	HY. CHILLI	SCH-SHIVAM, SCH- NEHA, SCH-NAGIN, SCH-NIKITA, SCH-SOUMYA, SCH-LALIMA, SCH-MADHURI
10	HY. CAPSICUM CHILLI	SCH-ROMA, SCH-RADHA, ARKA MOHIN
11	HY. BRINJAL	SBH-VIPIN, SBH-VIVEK, SBH-VIDHARBHA, SBH-VISHAL, SBH-VISHESH, SBH-VIRAJ, SBH-VIGHNESH, SBH-VARAD, SBH-VIKRANT
12	BHINDI	SOH-NANDINI, SOH-RAGINI, SOH-PADMINI, ARKA ANAMIKA, PARBHANI KRANTI
13	HY. BITTER GOURD	SBH-DAMINI, SBH-SHALINI, SBH-MALINI, SBH-KUMODINI, SBH-NALINI, KATAHI, GREEN ORG, WHITE LONG
14	HY. RIDGE GOURD	SRH-MANISHA, SRH-NILIMA
15	HY. SPONGE GOURD	SSH-HARITA, SSH-SUNITA
16	HY. BOTTLE GOURD	SBH- ASHOK, SBH-SAGAR, GHUTKA, ARKA ABHAY
17	HY. PUMPKIN	SPH-BHAGIRATH
18	HY. WATERMELON	SWH-RASILA, SWH-TRUSHANA, SWH-KRISHNA
19	HY. MUSKMELON	SMH-RUCHKAR, SMH-KURKURA, MADHURAS, KAJARI
20	BEET ROOT	DARK RED, CO-2

21	CARROT	RED KING, PUSA KESAR
22	CAULIFLOWER	KATAKI SELECTION, PUSA SNOWBALL, AGHAN SPL, PUSI SPL
23	COW PEA	KASI KANCHAN, PUSA KOMAL
24	CUCUMBER	SUMMER SPECIAL, BARSATI SPECIAL
25	GUAR	PUSA NAVBAHAR
26	PALAK	ALL GREEN
27	PUMPKIN	CHAKRI, ARKA SURYAMUKHI, ARKA CHANDAN
28	RADISH	PUSA CHETKI LONG, PALAK PATTI, HALL QUEEN, MENO EARLY, JAPANESE WHITE
29	TINDA	LUDHIYANA SPECIAL
30	TOMATO	SELECTION-22, NAVODAYA, PKM, PUSA EARLY DWARF, PUNJAB CHUARA
31	BRINJAL	MANJARI BOTA, PHULE HARIT
32	CABBEGE	GOLDEN ACRE, PRIDE OF INDIA
33	CORRINDER	ARKA ISHA, SUDHA
34	DOLICOESBEAN	KOKAN BHUSHA, ARKA AMOGH
35	FRENCH BEAN	ARKA KOMAL, PUNJAB TINDA
36	LONG MELON	PUNJAB LONG MELON
37	RIDGE GOURD	ARKA SUMIT, JAIPUR LONG
38	SPONGE GOURD	PUSA CHIKANI, GREEN CHIKANI
39	WATER MELON	SUGAR BABY, ARKA MANIK
40	ONION	NIFHAD 53, AKOLA SAFED, LIGHT RED, PUNA FURSANGI

- कृषि निदेशालय के ज्ञापक-2408 दिनांक 09.06.2017 से राज्य में रिसर्च फसल प्रभेदों की बिक्री प्रतिबंधित की गई है जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

De
अमित

हिमांशु
21.9.17
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।



FORM 'B'
(See Clause 5)

LICENCE TO CARRY ON BUSINESS OF A DEALER IN SEEDS


Licence No. 35/2017 Date 22/09/2017

Subject to the provisions of seed (Control) Order, 1983 and to the terms and conditions of the licence Sri मेसर्स एस०भी०आर० क्रॉप साइन्स (आई०) प्रा०लि०, द्वारा-संतोष कुमार यादव, ग्राम+पो०-हरदा, पूर्णिया is hereby granted licence to sell, export, import and store for the said purposes of seeds.

2. The licensee shall carry on the afore-said business मेसर्स एस०भी०आर० क्रॉप साइन्स (आई०) प्रा०लि०, द्वारा-संतोष कुमार यादव, ग्राम+पो०-हरदा, पूर्णिया the details of boundary of places for storage and sale appear below.

Place of Storage	Place of Sale
मेसर्स एस०भी०आर० क्रॉप साइन्स (आई०) प्रा०लि०, द्वारा-पप्पू कुमार यादव, ग्राम+पो०-हरदा, पूर्णिया	मेसर्स एस०भी०आर० क्रॉप साइन्स (आई०) प्रा०लि०, द्वारा-संतोष कुमार यादव, ग्राम+पो०-हरदा, पूर्णिया
पूरब - नीज	पूरब - नहर
पश्चिम - NH-31	पश्चिम - सड़क
दक्षिण - दहलीज गली का रास्ता	दक्षिण - रमेश मेहता का दुकान
उत्तर - मोलीकार का परती जमीन	उत्तर - संजीव कुमार का जमीन

Date :
Seal :


21.9.17
Licensing Authority
Director of Agriculture
Licensing Authority
Bihar, Patna
Director of Agriculture
Bihar, Patna.

TERMS AND CONDITIONS OF LICENCE

1. The licence shall be displayed at a prominent and conspicuous place in a part of the business premises open to the public.
2. The holder of the licence shall comply with the provisions of the seed (Control) order, 1983 and the notifications issued there under and for the time being in force.
3. This licence comes into force with immediate effect and shall be valid upto 21/03/2020 Unless previously cancelled or suspended.
4. The holder of the licence shall from time to time report to the licensing authority and change in the premises where he carries on his business of sale, export, import or storage for the said purposes seeds.
5. The licence shall give every facility to the licensing authority or any other officer acting under his authority for the purpose of inspecting his stock in any shop, depot or godown or other place/places used by in him for the purpose of storage. Sale or export of seed.
6. Separate licence should be obtain if business is carried more than one place (For each place separately).